तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मनोज कुमार बनाम श्याम लाल प्रा० पत्र अस्थायी निषे० कं.न. – 49/2025
25.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। वही वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कॉस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49/2025	2025/132	15.05.2025	25.09.2025

उनवान प्रकरण

1. मनोज कुमार पुत्र धन्नालाल जाति कुमावत निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जरिये मुख्तायार आम पुष्पा देवी पत्नी मनोज कुमार आयु 45 वर्ष जाति कुमावत निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——वादी——

बनाम्

1. श्यामलाल पुत्र धन्नालाल आयु 52 वर्ष जाति कुमावत निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. अनुराग सैनी पुत्र सोहनलाल आयु 30 वर्ष जाति माली निवासी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. उपपंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
5. पटवारी, पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण——

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र शर्मा , एड0 वादी अभिभाषक।
श्री विनोद कुमार सैनी, एड0 प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर तन ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि को दिनांक 06.06.1978 को प्रार्थी के दादा सुरजमल जो ठेकेदार कान्ट्रेक्टर थे, उन्होने अपनी स्वयं की कमाई से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता धन्नालाल के नाम खरीद का विकय लेख निष्पादित करवाया था तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित भूमियों में 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त चला आ रहा है तथा इसी अनुसार मुम्बई में भी सम्पदा प्लाट संयुक्त परिवार की कमाई से कय किये हुये है, जिनमें भी प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 आपस में सगे भाई है तथा धन्नालाल के दो पुत्र संतान प्रार्थी मनोज कुमार एवं अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल पैदा हुए, जिनका वादग्रस्त भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा पैतृक निहित है। इसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से पर मय परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है एवं पुख्ता मकानात बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं विद्युत कनैक्शन आदि लगा रखे है एवं फसल काश्त कर अपना एवं अपने का परिवार का उदरपोषण करता चला आ रहा है। इसके बावजूद मृत्तक धन्नालाल ने पोशीदा तौर पर इस कृषि भूमि की [illegible] दिनांक [illegible] 2020 को सिर्फ अप्रार्थी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्यामलाल के नाम करा दी जिसे निरस्त कराने बाबत सक्षम न्यायालय में प्रकरण में लंबित है। उक्त वर्णित भूमि के नये नम्बर बन गये है, जिनके अनुसार खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर है, जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 व 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम से अंकित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम से अंकित है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2803/454 रकबा 0.0880 गै.मु. रास्ता के रूप में अंकित होकर उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से अंकित है। अप्रार्थी नम्बर 1 ने संयुक्त परिवार की पैतृक अविभक्त कृषि भूमि को अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि का हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 2 को अवैध रूप से बाला बाला रूप से विक्रय कर दिया जिसके कारण अप्रार्थी नम्बर 2 ने अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाकर नुमाईशी बंटवारा कराकर खातेदारी अपने नाम से अंकित करा ली जिसका अप्रार्थी नम्बर 2 को कोई हक अधिकार किसी किश्म का नहीं है। अप्रार्थी नम्बर 2 के हक में करवाये गये विक्रय लेख व उसके आधार पर भू अभिलेख में दर्ज करवाये गये इन्द्राजात को प्रार्थी के हको के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है तथा काफी संख्या में पेड पौधे लगा रखे है एवं मय परिवार काबिज काश्त चला आ रहा हैं अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक किसी किश्म का ताल्लुक नही है ना ही कब्जा है, ना ही अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक हो सकता हैं। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित अपनी पैतृक भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी हैं। उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा को अप्रार्थीगण ने नुमाईशी रूप से दीगर को किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या रहन रख दिया तो प्रार्थी के भूमि मुतनाजा मे निहित विधक हक हकूक गंभीर रूप से प्रभावित होगा प्रार्थी ... की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा अनावश्यक रूप से ... प्रार्थी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से ... नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी बरबाद हो जावेगा। दिनांक 10.05.2025 को अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 व इनके सहयोगियो द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि से जोर जबरन बेदखल करने एवं अपने नाम दर्ज होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को दीगर को अन्तरित करने, रहन रखने एवं प्रार्थी को बेदखल कर दीगर भुमाफियाओ का जबरन कब्जा कराने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तादौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमियों 454 रकबा 2.56 हैक्टर तन ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जिनके नये नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर व खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख आदि द्वारा अंतरित करे, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखकर ऋणधन प्राप्त करे, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाये, ना ही प्रार्थी को जोर जबरन बेदखल करे ना ही दीगर से करावे ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे ना दीगर से करावे अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के बाबत होने कोई दस्तावेज, अन्तरण लेख आदि को किसी प्रकार से तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री विनोद कुमार सैनी एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कोस टी. आई. पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी ने कॉस टी.आई. का जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थी द्वारा जवाब कोस टी.आई. पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर तन ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को दिनांक को दिनांक 06.06.1978 को प्रार्थी के दादा सुरजमल जो ठेकेदार कान्ट्रेक्टर थे उन्होने अपनी स्वयं की कमाई से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता धन्नालाल के नाम खरीद का विक्रय लेख निष्पादित करवाया था तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित भूमियों में 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त चला आ रहा है तथा इसी अनुसार मुम्बई में भी सम्पदा प्लाट संयुक्त परिवार की कमाई से क्रय किये हुये है जिनमें भी प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 आपस में सगे भाई है तथा धन्नालाल के दो पुत्र संतान प्रार्थी मनोज कुमार एवं अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल पैदा हुआ है, जिनका वादग्रस्त भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा पैतृक निहित है। इसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से पर मय परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है एवं पुख्ता मकानात बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं विद्युत कनैक्शन आदि लगा रखे है एवं फसल काश्त कर अपना एवं अपने का भरणपोषण करता चला आ रहा है। इसके बावजूद मृत्तक धन्नालाल ने पोशीदा तौर पर इस कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 20.11.2020 को सिर्फ अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम करा दी जिसे निरस्त कराने बावत सक्षम न्यायालय में प्रकरण में लंबित है। उक्त वर्णित भूमि के नये नम्बर बन गये है जिनके अनुसार खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर है जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 व 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम से अंकित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम से अंकित है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2803/454 रकबा 0.880 गै.मु. रास्ता के रूप में अंकित होकर उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान [illegible] अंकित है। अप्रार्थी नम्बर 1 ने संयुक्त परिवार की पैतृक अविभक्त [illegible] का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 2 को अवैध रूप से बाला बाला रूप से विक्रय कर दिया जिसके कारण अप्रार्थी नम्बर 2 ने अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाकर नुमाईशी बंटवारा कराकर खातेदारी अपने नाम से अंकित करा ली जिसका अप्रार्थी नम्बर 2 को कोई हक अधिकार किसी किश्म का नहीं है। जिसके आधार पर प्रार्थी वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 15.05.2025 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंफर्म किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कोस टी.आई. में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर तन ग्राम थोई पूर्व मे उक्त खसरा नम्बर होना स्वीकार है जिसके वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर, खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ एवं खसरा नम्बर 2803/454 रकबा 0.0880 गै.मु. रास्ता अंकित आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता मृत्तक धन्नाराम पुत्र सुरजमल द्वारा अपनी स्वयं की कमाई एवं मेहनत से स्वयं ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.06.1978 को खरीद किया था, तब से धन्नाराम ही काबिज काश्त चला आ रहा था व धन्नाराम ने अपनी मेहनत व खर्चे से आवासीय मकान, बाडा बनाकर आबाद चला आ रहा था व सिचाई हेतु कुंआ व टयूबवैल बना रखा था व धन्नाराम के नाम से ही कृषि एवं घरेलू विद्युत कनैक्शन ले रखा था। उक्त कृषि भूमि व आवासीय मकान, नोहरे व कृषि भूमि में कृषि व आवासीय विद्युत कनैकशन इतयादि को अपर्थी नम्बर 1 उपयोग उपभोग व काबिज काश्त चला आ रहा था। मृत्तक धन्नराम ने उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर बाबत अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत लेख अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के हक में दिनांक 20.11.2020 को उपपंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर के यहा विधिवत रूपेण पंजीबद करवायी गयी थी। जिसके उपरान्त वसीयकतकर्ता धन्नाराम की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड वसीयत लेख के आधार पर बाद सुनवाई उक्त भूमि खसरा नमबर 454 रकबा 2.56 हैक्टर संपूर्ण की खातेदारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम विधिवत रूपेण अंकित की गयी है। जिसके बाद प्रार्थी टी.आई. की ओर से उक्त नामांतकरण आदेश के विरुद्ध माननीय अपर जिला कलैक्टर सीकर के यहा अपील प्रस्तुत की गयी थी जो अपील भी माननीय अपर जिला कलैक्टर महोदय नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

द्वारा खारिज फरमा दी गयी। उक्त भूमि में से करीब 0.50 हैक्टर भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा संपरिवर्तन की गयी थी। जिसके लिये कुछ भूमि रास्ता के उपयोग उपभोग हेतु संपुर्ण की गयी थी जिसे खसरा नम्बर 2803/454 रकबा 0.0880 गै.मु. रास्ता के रूप में अंकित फरमा दी गयी। शेष बची भूमि खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख अप्रार्थी नम्बर 2 अनुराग सैनी को विधिवत रूपेण विक्रय कर दी गयी जिसकी 1/2 हिस्सा की खातेदारी व कब्जा काश्त उक्त 1/2 हिस्सा अनुराग सैनी के आधिपत्य में चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त 1/2 हिस्सा का एकमात्र मालिक खातेदार उपयोग उपभोगाधिकारी अप्रार्थी नम्बर 2 व शेष 1/2 हिस्सा का अप्रार्थी नम्बर 1 काबिज व आबाद चला रहा है। जिससे प्रार्थी या अन्य किसी का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नहीं है। उक्त संपूर्ण भूमि आवासीय मकानात बाडा टयूबवेल विद्युत कनैक्शन इत्यादि से प्रार्थी या अन्य किसी का किसी किश्म का कोई ताल्लुक नहीं हैं। धन्नाराम के एक पुत्री व पत्नी जीवित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में सजरा खानदान अनुसार धन्नाराम के विधिक कानूनी वारिसान को पक्षकार अप्रार्थी नही बनाया गया हैं खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने के उपरान्त उक्त व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बाबत न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहींहै। केवल सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वकील अप्रार्थी ने कोस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में निवेदन किया है कि प्रार्थी अदालत हाजा के सम्मुख सद्‌भाविक रूप से सत्य अभिकथन करते हुये नही आया है जानबुझकर वास्तविक तथ्यो को छिपाया है। इस कारण न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 काबिज खातेदार काश्तकार है प्रार्थीया उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के कब्जे काश्त एवं भूमि के उपयोग उपभोग में नाजायज रूप से बाधा कारित करते है जिनकी बेजा हरकतो को अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी की मुस्तहियार पूर्णत: अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के कृषि भूमि व व्यावसायिक भूमि के उपयोग उपभोग निर्माण कार्य एवं ...ल काश्त एवं भूमि के उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही दीगर से करावें। अप्रार्थी ने अपने हक अधिकार की भूमि में से अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का वैधानिक रूप से अप्राथी नम्बर 2 को बेचान की गयी है व उनके हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी नम्बर 2 काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को विक्रय लेख प्रभावहिन व बेअसर घोषित कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त भूमि मकानात बाडा टयूबवैल इत्यादि से कोई संबंध किसी किश्म का नहीं है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनो ने अप्रार्थी नम्बर 1 के हक अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर में नाजायज रूप से अप्रार्थी नम्बर 1 के द्वारा उपयोग उपभोंग किये जाने के दौरान प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारजनो इसके लडके लडकियों द्वारा बाधा कारित करने निर्माण इत्यादि कराने के दोरान पत्थर इत्यादि फैंकने व उपयोग उपभोग में बाधाडालने पर आमादा होने पर अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय श्रीमाधोपुर के यहा वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायायल सिविल न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिजनो को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया। उक्त उनवानी प्रकरण श्यामलाल बनाम मनोज कुमार विचाराधीन है जिन तथ्यो को छिपाकर मनमाने तथ्य दर्ज करते हुये वाद एवं प्रार्थना पत्र नुमाईशी रूप से मिन अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की दुर्भावना से आधारहीन व औचित्यहीन तरीके से मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विरूद प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो चलने योग्य नही है व खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता मृत्तक धन्नाराम पुत्र सुरजमल द्वारा अपनी सवयं की कमाई एवं मेहनत से स्वयं ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.06.1978 को खरीद किया था तब से धन्नाराम ही काबिज काश्त चला आ रहा था व धन्नाराम ने अपनी मेहनत व खर्चे से आवासीय मकान बाडा बनाकर आबाद चला आ रहा था व सिंचाई हेतु कुंआ व टयूबवैल बना रखा था व धन्नाराम के नाम से ही कृषि एवं घरेलू विद्युत कनैक्शन [illegible] अवासीय बाडे व कृषि व आवासीय विद्युत कनैकशन इतयादि को अप्रार्थी [illegible] उपभोग व काबिज काश्त चला आ रहा है। मृत्तक धन्नाराम ने [illegible] नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर बाबत अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत लेख अप्र[illegible] नम्बर 1 श्यामलाल के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 20.11.2020 को उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर के यहा विधिवत रूपेण पंजीबद करवायी गयी थी। जिसके उपरान्त वसीयतकर्ता धन्नाराम की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड वसीयत लेख के आधार बाद सुनवाई उक्त भूमि खसरा नमबर 454 रकबा 2.56 हैक्टर संपूर्ण की खातेदारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम विधिवत रूपेण अंकित चली आ रही है जिसके बाद प्रार्थी की ओर से उक्त नामांतकरण आदेश के विरूद माननीय अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहा अपील प्रस्तुत की गयी थी जो अपील भी माननीय अपर जिला कलैक्टर महोदय नीमकाथाना द्वारा खारिज फरमा दी गयी। उक्त भूमि में करीब 0.50 हैक्टर भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा संपरिवर्तन की गयी थी। जिनके लिये कुछ भूमि रास्ता के उपयोग उपभोग हेतु समपर्ण की गयी थी जिसके खसरा नमबर 2803/454 रकबा 0.08880गे.मु. रास्ता के रूप में अंकित फरमा दी गयी। शेष बची भूमि खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख अप्रार्थी नम्बर 2 अनुराग सैनी को विधिवत रूपेण विक्रय कर दी गयी जिसकी 1/2 हिस्सा की खातेदारी व कब्जा काश्त उक्त 1/2 हिस्सा अनुराग सैनी के आधिपत्य में चला आ रहा हैं। इस प्रकार उक्त 1/2 हिस्सा का एकमात्र मालिक खातेदार उपयोग उपभोगाधिकारी अप्रार्थी नम्बर 2 ही है। जिससे प्रार्थी का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नहीं है उक्त संपूर्ण भूमि, आवासीय मकानात, बाडा टयूबवैल विद्युत कनैक्शन इतयादि से प्रार्थी या अन्य किसी का किसी किश्म का कोई ताल्लुक नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी एवं उसकी मुख्तायार व परिजनों को जरिये क्रोस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन मेन्टेबल होकर पोषणीय है जो डिक्री किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने सही एवं वास्तविक तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थी उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है। भूमि में बड़ी संख्या में पेड पौधे लगा रखे है एवं मय परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण को कोई ताल्लुक किसी किश्म का ताल्लुक नहीं है ना ही कब्जा है ना ही अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक हो सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

है। इस कारण सही एवं वास्तविक तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 आपस में सगे भाई है तथा धन्नालाल के दो पुत्र संतान प्रार्थी मनोज कुमार एवं अप्रार्थी नमबर 1 श्यामलाल पैदा हुआ है जिनका वादग्रस्त भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा पैतृक निहित है। इसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से पर मय परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है। एवं पुख्ता मकानात बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है एव विद्युत कनैक्शन आदि लगा रखे है एवं फसल काश्त कर अपना एवं अपने का उदरपोषण करता चला आ रहा है। इसके बावजूद मृत्तक धन्नालाल ने पोशीदा तौर पर इस कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 20.11.2020 को सिर्फ अप्रार्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम करा दी जिसे निरस्त कराने बाबत सक्षम न्यायालय में प्रकरण लंबित है। जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कोस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाए जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया हैं।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.06.1978, वसीयत लेख, वसीयत लेख के आदेश की प्रति, संपरिवर्तन आदेश की प्रति, राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की प्रति, सीविल न्यायालय श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश की प्रति, सिविल न्यायालय के वादपत्र के आदेश की प्रति, विद्युत बिल धन्नाराम, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट 2013, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका, फोटोग्राफ्स इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त अराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान में रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता धन्नाराम पुत्र सुखराम के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 06.06.1978 के द्वारा खरीदा जाना प्रकट होता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टर को मृत्तक धन्नाराम के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 20.11.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

...र्थी नम्बर 1 श्यामलाल के नाम पंजीबद कराया जाना स्पष्ट होता है। जिसका नामांतरण ...राम की मृत्यु उपरांत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा बाद सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष ...स्वीकार हुआ तथा उक्त नामांतरण के खिलाफ पेश अपील भी ए.डी.एम. नीमकाथाना द्वारा ...स्वीकृत हुई हैं।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोगाफस से प्रथम ...ष्टया यह तो प्रकट होता है कि मनोज कुमार धन्नाराम के बेटे है तथा मनोज का परिवार ...भी धन्नाराम के साथ रहा हो व धन्नाराम द्वारा ही मनोज की शादी की गई है। लेकिन यह ...से भी न तो प्रकट होता है ना ही प्रमाणित हो रहा है कि पुराने खेत खसरा नम्बर ...4 तन थोई जो दिनांक 06.06.1978 को धन्नाराम ने जरिए रजिस्ट्री खरीदा था वह धन्नाराम ...के पिता सूरजमल ने अपनी कमाई से खरीद कर अकेले धन्नाराम के नाम करवाया हो ना ही ...ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, ना ही दिनांक ...06.06.1978 को हुई रजिस्ट्री में ऐसा अंकन है, ना ही रजिस्ट्री में कही धन्नाराम के पिता ...सूरजमल के कही हस्ताक्षर है । अतः प्रथम दृष्टया उक्त संपति धन्नाराम की स्वर्जित संपति ...होना प्रकट होता है जिस पर धन्नाराम द्वारा खेती किया जाना एवं उसी के नाम से बिजली के ...बेल होना भी प्रकट हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह संपति धन्नाराम की पैतृक संपति न ...होकर स्वर्जित सम्पति होना प्रकट होता है। जहां तक धन्नाराम द्वारा वादग्रस्त सम्पति का ...अकेले अपने बडे बेटे श्यामलाल के पक्ष में की गई वसीयत के सही/गलत होने का प्रश्न है ...वह सक्षम न्यायालय से तय होना है। यद्यपि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा वसीयत के आधार ...ही भी धन्नाराम की फौतगी/मृत्यु उपरांत उक्त भूमि का नामांतरण विधिवत बाद जांच ...वसीयत को सही मानते हुए श्यामलाल के पक्ष में तस्दीक किया गया है जिसके खिलाफ ए.डी. ...एम. नीमकाथाना के यहां पेश अपील भी खारीज हो चुकी है तथा सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर ...द्वारा वादग्रस्त वसीयत को दी गई चुनौति को भी खारीज कर अस्वीकार किया है। यद्यपि ...उक्त प्रकरण अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन इन तथ्यों से धन्नाराम की वसीयत ...के आधार पर श्यामलाल को वादग्रस्त जाएगा में प्राप्त खातेदारी अधिकार प्रथम दृष्टया ...श्यामलाल के पक्ष में होना पाया जाता है तथा आज वह वादग्रस्त जाएगा का रिकॉर्डेड ...खातेदार काश्तकार है इस प्रकार सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर ने अपने प्रकरण 94/2022 में ...प्रश्नगत भूमि में से ही अप्रार्थी श्यामलाल द्वारा कराए गये संपरिवर्तित भूमि पर अप्रार्थी ...श्यामलाल का पृथम दृष्टवा हक मानते हुए प्रार्थी मनोज को पाबंद किया गया है इससे भी ...अप्रार्थी श्यामलाल को जरिए वसियत मिली वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 454 पर प्रथम दृष्टया ...अधिकार अप्रार्थी का स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के ...पक्ष में पाये जाने से सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे न ...होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होते है। अतः इस स्तर पर अप्रार्थीगण को टी.आई. से ...पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ... प्रार्थना पत्र बाबत अन्तरिम ...अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जा... अस्वीकार किया जाता है तथा ...अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र टी.आई. ... जाकर प्रार्थी को पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया जाता है कि वह तादौराने दावा वादग्रस्त जायगा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.05.2025 को खारिज किया जाता है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.54 हैक्टर एवं भूमि खसरा नम्बर 2813/2804 रकबा 1.9720 हैक्टर एवं 2812/2804 रकबा 0.50 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एव ना ही दीगर से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested